


## मध्य प्रदेश राज्य रोजगार परिषद्, मुख्यालय भोपाल

### --: भाव पत्र आमंत्रण सूचना :-

मध्य राज्य रोजगार गारंटी परिषद् मुख्यालय भोपाल के लिए मासिक एवं दैनिक किराए के आधार पर दिनांक .....तक अपरान्ह..... बजे निम्नलिखित शर्तों के अनुरूप वाहन किराए पर लेने के लिए रजिस्टर्ड/ ख्याति प्राप्त ट्रेवल्स एजेंसी( जो शासकीय नियमानुसार सेवाकर हेतु पंजीकृत है।) से मुहर बंद भावपत्र दो लिफाफा पद्धति में आमंत्रित किए जाते हैं। दिनांक.....को अपरान्ह .....बजे उपस्थित ट्रेवल्स एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोले जावेंगे।

### निविदा की शर्त :-

1. संबंधित एजेंसी को नियमानुसार सेवाकर (सर्विस टैक्स) का भुगतान करना होगा। अतः पंजीकृत फर्म/ संस्था ही इस कार्य हेतु आवेदन करें। सेवाकर कर का वैध पंजीयन रखते हो। सेवा कर की अंतिम अधतन रिटर्न निविदा आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
2. एजेंसी द्वारा क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीकृत वाहन ही उपलब्ध कराना होगा। इस संबंध में वाहन के दस्तावेज वाहन प्रभारी अधिकारी को अनिवार्यता अवलोकन कराना होगा।
3. परिषद् द्वारा वाहन का मासिक किराया मय इंधन के राशी का भुगतान किया जावेगा। वाहन का संधारण वाहन चालक का वेतन, वाहन मरम्मत दुर्घटना टूट फूट आदि समस्त व्यय ट्रेवल्स एजेंसी द्वारा वहन किये जावेंगे।
4. संस्था ट्रेवल एजेंट के रूप में पंजीकृत हो।
5. प्रस्तावित वाहन उनके/ कंपनी / फर्म के नाम से टैक्सी रूप में पंजीकृत हो। आयकर PNR रखते हों। अधतन आयकर चुकता प्रमाण पत्र निविदा आवेदन साथ प्रस्तुत करना होगा।
6. एजेंसी के पास निर्धारित मेक के 1/1/2011 अथवा उसके बाद के पंजीकृत न्यूनतम दस वाहन होने आवश्यक है, जिसका प्रमाण भाव पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। वाहनो का रजिस्ट्रेशन टैक्सी कोटा में ट्रेवल एजेंसी अथवा उसके संचालक के नाम से होने पर ही मान्य किया जावेगा। (रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति संलग्न करें)
7. ट्रेवल एजेंसी को दरें प्रस्तुत करने के साथ रूपयें 2,00,000/- (रुपए दो लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट, जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्, मुख्यालय भोपाल को देय होगा, अर्नेस्ट मनी बतौर जमा कराना



- अनिवार्य होगा। जिसे एक अलग लिफाफे में प्रस्तुत करें। इससे अभाव में ट्रेवल्स एजेंसी की तकनीकी निविदा अमान्य हो जायेगी।
8. किराए के वाहनो की संख्या परिषद की आवश्यकतानुसार 10 अथवा उससे अधिक सप्ताह के सभी दिवसों में परिषद को उपलब्ध कराना, ट्रेवल एजेंसी की बाध्यता होगी। जिसको पूरा न होना अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जावेगा।
  9. स्वीकृत दरें सामान्यतः एक वर्ष के लिए प्रभावशील रहेंगी तथा इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध करना होगा। सेवाएं संतोषजनक होने की दशा में अनुबंध परिषद द्वारा 6 माह या नवीन निविदा जो पहले हो बढाई जा सकती है। अनुबंध/ कार्य समाप्ति के एक माह बाद ही EMD वापस की जायेगी।
  10. यह कि एक वाहन खराब या अनुपलब्ध होने की स्थिति में, म. प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद, को दो घंटे के अन्दर दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा। इससे अधिक समय लगने पर वाहन किराया उस दिन कि लिए देय नहीं होगा, साथ ही म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद को अधिकार होगा कि वह अन्य वाहन किराये पर ले सकेगा। इस प्रकार की व्यवस्था में यदि कोई अतिरिक्त व्यय आता है तो वह ट्रेवल एजेंसी से वसूल किया जावेगा। वाहन को खराब होने के स्थान से लाये जाने का दायित्व ट्रेवल एजेंसी का होगा।
  11. न्यूनतम निविदाकार द्वारा निर्धारित समयावधि में अनुबंध न करने पर अगले (न्यूनतम दर से तत्काल ऊपर) निविदाकार से अनुबंध की कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी स्थिति में न्यूनतम निविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जावेगी।
  12. वाहन का माइलोमीटर सदैव चालू रहे। अपवाद स्वरूप यात्रा के दौरान खराब होने पर की गयी यात्रा का प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा जो कि मान्य करना होगा।
  13. वाहन मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद को उनके द्वारा निर्धारित स्थान पर मय वाहन चालक के उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
  14. ट्रेवल एजेंसी का डाक का पता एवं सम्पर्क व्यक्ति का नाम/ दूरभाष क्रमांक का एक पत्रक से संलग्न करना होगा।
  15. यात्रा के दौरान वाहन दुर्गम स्थान में भी ले जायी जावेगी। ट्रेवल एजेंसी के ड्राइवर का यह कर्तव्य होगा कि म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद के आदेशो का पालन करें।
  16. वाहन शासकीय कार्य संपादन हेतु म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद की सुविधानुसार प्रभारी अधिकारी के निवास व कार्यालय में रखा जा सकेगा। तथा वाहन उपलब्ध कराना ट्रेवल एजेंसी का दायित्व होगा।
  17. वाहन के साथ वाहन के समस्त कागजात तथा मूल पंजीयन बीमा पॉलिसी, इत्यादि रखना अनिवार्य होगा।





18. यह कि ट्रेवल एजेंसी को ड्राइवर के पास बीमा रजिस्ट्रेशन एवं टैक्सी वाहन चलाने का लायसेंस आदि के कागजात वाहन में हमेशा साथ रखने होंगे। वाहन टैक्स पेड होगा तथा स्वामित्व का प्रमाण पत्र देना होगा वाहन इन्श्योर्ड रहेंगे। किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर ट्रेवल एजेंसी पूर्णरूपेण उत्तरदायित्व होगी तथा समस्त खर्च वहन करेगी।
19. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है। वाहन में हर समय अच्छी हालत में स्टेपनी अनिवार्य रूप से हो तथा चारो पहिये टायर ट्यूब नये होने चाहिये तथा माइलोमीटर हमेशा चालू हालात में होना अनिवार्य है। जिसकी जिम्मेदारी ट्रेवल एजेंसी की होगी।
20. जिन निविदाकारो की दरें अस्वीकार की जावेंगी उनकी प्रतिभूति राशि आवेदन प्रस्तुत करने के आधार पर मूलतः लौटाई जावेगी।
21. निविदा में दर्शित दरें अनुबंधित अवधि तक मान्य होगी। अनुबंध अवधि के दौरान किसी भी प्रकार से बाजार दरो में परिवर्तन होने पर स्वीकृत दरो में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
22. वाहन को शहर की नगर निगम सीमा के बाहर जाने की दशा में शासन द्वारा स्वीकृत टोल टैक्स यदि कोई हो तो मात्र का भुगतान रसीद के आधार पर परिषद द्वारा किया जावेगा। इस हेतु ट्रेवल्स एजेंसी को वाहन के देयक के साथ रसीद को संलग्न कर परिषद में प्रस्तुत करना होगा। टोल टैक्स के अलावा अन्य राशियो ट्रेवल्स एजेंसी द्वारा वहन किये जावेंगे, इनकी प्रतिपूर्ति परिषद द्वारा नहीं की जावेगी।
23. परिषद् का यह अधिकार सुरक्षित है कि वह प्राप्त भावपत्र में से किसी भावपत्र को या समस्त भावपत्रो को बिना कारण बताए निरस्त कर सकती है।
24. नियत तिथि व समय के उपरांत प्राप्त भाव पत्रो पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
25. वाहन चालक निविदा दाता का होगा। उसके पास कम से कम पाँच वर्ष का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होगा। व समस्थ आवश्यक बीमा एवं अन्य कागजात होंगे। वाहन के खराब अथवा अनुपलब्धता होने की स्थिति में वैकल्पिक उसी स्तर का वाहन उपलब्ध करने का दायित्व निविदादाता का होगा अन्यथा क्षतिपूर्ति की राशि 1000/- प्रतिदिन के मान से काटी जायेगी।

dw



26. अनुबंध निस्पादन के दिनांक से ही समस्त वाहन का अनुबंध करना अनिवार्य होगा। अन्यथा 1000/- प्रतिदिन प्रति वाहन के हिसाब से बयाने की राशि से काट लिये जायेगी।
27. वाहन के साथ लॉग बुक रखना अनिवार्य होगा। लॉग बुक उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा प्रतिदिन भरी जायेगी।
28. मासिक किराएदारी पर वाहन लिए जाने पर वाहन कार्यालय/अधिकारी/आवास में खड़ी करना होगी। यदि द्वितीय पक्ष अनुबंध अनुसार वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ हो जाता है तो उसकी सूचना एक माह पूर्व देना होगी।
29. सर्विस टेक्स, पेन नम्बर, RTO में टेक्सी कोटा में रजिस्ट्रेशन आवश्यक होगा। इसके प्रमाणक तकनीकी निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
30. वाहन के स्वामित्व आदि में किसी भी प्रकार के विवाद में द्वितीय पक्ष का उत्तरदायित्व होगा।
31. वाहन चालक द्वारा अपने कर्तव्य पर उपस्थिति के दौरान गुटखा, तम्बाकू, एवं धूम्रपान एवं नशे संबंधी गतिविधियाँ पूर्णतः वर्जित है।
32. एजेंसी द्वारा बाहर जाने पर वाहन चालक को वाहन मरम्मत व सुधार कार्य हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध कराई जायेगी।
33. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहनों में 02 जोड़ी सीट कव्हर, टॉबेल, परफ्यूम, रीडिंग लैंप, घड़ी, टार्च, चार्जर, बारिश के मौसम में छाता, सीट बैल्ट, एवं अग्निशमन यंत्र इत्यादि अनिवार्य रूप से रखी होना आवश्यक होगा।
34. एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन एवं वाहन चालक को बदलने से पूर्व प्रथम पक्षकार की अनुमति ली जाना आवश्यक होगी, क्योंकि इससे शासकीय कार्य बाधित होते हैं। वाहन उपयोगकर्ता अधिकारी की अनुमति उपरांत ही वाहन एवं वाहन चालक बदला जावेगा।
35. संविदा के कार्यान्वयन की अवधि में सेवा प्रदाता द्वारा संविदा का निष्पादन भली प्रकार किया जा रहा है इसका निरंतर परिवीक्षण(Monitoring) भी परिषद द्वारा किया जायेगा।
36. किसी भी वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र भोपाल होगा।

dm





37. तकनीकी निविदा प्रपत्र भाग- 1 लिफाफा अ जिसमें अमानत राशि एवं तकनीकी निविदा में चाही गयी वांछित जानकारी, / प्रमाण पत्रों की छायाप्रति एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र भाग-2 को लिफाफा ब में रखे।
38. समस्त प्रकार के शासकीय करो आदि का कटौत्रा परिषद् द्वारा किया जायेगा।
39. देयक से सर्विस टेक्स की राशि तभी भुगतान की जायेगी जबकि संबंधित संस्था उसको जमा कराने का स्वप्रमाणित प्रमाण परिषद् की वाहन शाखा में जमा करा दे।
40. समस्त प्रकार के परिवहन, सेवा कर, श्रम कानून, आयकर एवं अन्य प्रावधानों का पालन कर उत्तरदायित्व संबंधित फर्म/संस्था को होगा।
41. वित्तीय निविदा में L1 (लोएस्ट फस्ट) आधार पर चयन होगा। L1 (लोएस्ट फस्ट) को मासिक आधार पर, "प्रतिदिन के आधार" पर एवं "मुख्यालय के बाहर" के आधार पर पृथक-पृथक परीक्षित किया जायेगा। सुविधा की दृष्टि से मासिक आधार पर प्राप्त L1 (लोएस्ट फस्ट) पर चयनित फर्म की दरें यदि "प्रतिदिन आधार" एवं "मुख्यालय से बाहर" के प्रकरणों में अधिक हैं, तो इसी L1 (लोएस्ट फस्ट) से उपर्युक्त "प्रतिदिन आधार" एवं "मुख्यालय से बाहर" के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त अन्य न्यूनतम दरों के तारतम्य में निगोसियेशन किया जा सकेगा। यदि संबंधित L1 इस पर तैयार है, तो उसे ठेका (Contract) सौंपा जा सकेगा।



संयुक्त आयुक्त (प्रशासन)  
म.प्र राज्य रोजगार गारंटी परिषद्  
मुख्यालय, भोपाल

लिफाफा 'अ' मे रखे

तकनीकी निविदा प्रपत्र- 1

मनरेगा परिषद् भोपाल में किराये पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए( तकनीकी निविदा)

निविदाकार से संबंधित जानकारीयों की शर्तें

1. निविदाकार का नाम : .....
2. कार्यालय का पूरा पता एवं दूरभाष क्रमांक : .....
3. निवास का पूरा पता एवं दूरभाष : .....
4. ई- मेल एवं मोबाईल नं. : .....
5. यदि निविदा फर्म/संस्था की ओर से है : .....
- फर्म/ संस्था के मालिक/ संचालक का नाम एवं पूर्ण पता
6. क्या निविदाकार को किसी शासकीय/ : .....
- विभाग संस्था द्वारा वाहन उपलब्ध कराने के लिए आयोग्य ठहराया गया है ?  
यदि हाँ तो पूर्ण विवरण लिखें
7. क्या निविदाकार को किसी न्यायालय द्वारा : .....
- किसी अपराधिक मामले में सिद्ध दोष ठहराया गया है ?  
यदि हाँ तो पूर्ण विवरण लिखें
8. शासकीय कार्यालयों में वाहन किराये पर : .....
- उपलब्ध कराने का तीन वर्ष का अनुभव विवरण दें ।

| क्रं | कार्यालय का नाम | अवधि |
|------|-----------------|------|
| 1    | 2               | 3    |
|      |                 |      |
|      |                 |      |

dh

dh

\_\_\_\_\_

9. निविदाकार का सेवा कर खाते का विवरण (सर्विस टेक्स नं. एवं रिटर्न की प्रति संलग्न करें। वर्ष 2011-2012):

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| कार्यालय का नाम | खाता क्रमांक |
| 2               | 3            |
|                 |              |

10. निविदाकार के स्वामित्व में उपलब्ध वाहनो का विवरण एवं टर्न ओवर

अ. वाहनो का विवरण (वाहन का टैक्सी परमिट होना चाहिए, स्वयं के स्वामित्व में 10 एवं 10 अन्य अनुबन्धित वाहन होना चाहिए तथा जिनका अभिलेख/परमिट/ टैक्स का भुगतान अधतन होना चाहिए।)

| क्रं | वाहनो का प्रकार | मेक माडल | संख्या | सीट संख्या |
|------|-----------------|----------|--------|------------|
| 1    | 2               | 3        | 4      | 5          |
| 1    |                 |          |        |            |
| 2    |                 |          |        |            |
| 3    |                 |          |        |            |
| 4    |                 |          |        |            |

ब. टर्न ओवर

निविदाकार का विगत तीन वर्षो 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 का प्रत्येक वर्ष का पृथक-पृथक टर्न ओवर 25 लाख सालाना होना चाहिए। C.A. द्वारा तीनों सत्यापित बैलेंस शीट संलग्न करें।

| क्रमांक | वर्ष | टर्न ओवर |
|---------|------|----------|
|         |      |          |
|         |      |          |

11. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के टैक्सी कोटे में रजिस्टर्ड होने का प्रमाण संलग्न करें।

12. आयकर पेन नं. विगत 03 वर्ष (2009-10, 2010-11 एवं 2011-12) की पृथक-पृथक आयकर विवरण की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।

*dm*

*Ad*



13. सुरक्षा राशि का विवरण:- बैंक ड्राफ्ट / .....  
बैंकर्स चैक क्रमांक .....  
अदाता बैंक का नाम दिनांक राशि .....
14. फार्म की कीमत रु. 5000 /- जमा कराने का डी.डी. का प्रमाण प्रस्तुत करना ही होगा।

हस्ताक्षर

घोषणा

मैं ..... पिता / पति ..... एतद् द्वारा घोषित करता हूँ / करती हूँ कि उपर क्रमांक 1 से 14 तक मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है तथा किसी तथ्य को मेरे द्वारा छिपाया नहीं गया है। मैं यह भी घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि मैंने निविदा की सरल क्रं..... से ..... तक सभी शर्तें पढ़ ली हैं तथा ये शर्तें मुझे मान्य हैं। समस्त शासकीय नियमों के पालन हेतु कानूनी रूप से मैं जिम्मेदार हूँ।

निविदाकार के हस्ताक्षर

नाम : .....

दूरभाष: .....

मो. क्रं.....

dm





**लिफाफा (ब)**  
वित्तीय निविदा

| वाहन का प्रकार<br>(वाहन निर्धारित<br>मेक अर्थात् मॉडल<br>1/1/2011<br>अथवा उसके बाद<br>का होना चाहिये) | निविदा भरने की<br>दिनांक को X शौ रूम<br>प्राईज (संबंधित कंपनी<br>की गाडी का प्रमाण<br>संलग्न करना<br>आवश्यक होगा। | मुख्यालय पर मासिक<br>आधार पर                       | मुख्यालय पर<br>प्रतिदिन के<br>आधार पर | मुख्यालय<br>के बाहर          |
|---|---|--|---------------------------------------|------------------------------|
|   |   | 1000 किलोमीटर<br>तक वाहन चालन पर<br>फिक्स्ड चार्जस | दर<br>प्रतिकिलोमीटर                   | दर प्रति<br>किलोमीटर<br>(*1) |
| स्कार्पियो  |   |  |                                       |                              |
| इनोवा   |   |  |                                       |                              |
| टवेरा   |   |  |                                       |                              |
| टाटा इंडिका   |   |  |                                       |                              |
| इंडिगो  |   |  |                                       |                              |
| बस 32 सिटर  |   |  |                                       |                              |
| मारुति SX-4   |   |  |                                       |                              |
| टाटा सूमों  |   |  |                                       |                              |
| बुलेरो  |   |  |                                       |                              |
| मारुति अल्टो  |   |  |                                       |                              |
| मारुति वेन  |   |  |                                       |                              |

(\*1) मुख्यालय के बाहर जाने पर प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जायेगा।

- नोट – 1. मुख्यालय का तात्पर्य भोपाल शहर की नगर निगम सीमा है।  
2. उपर्युक्त दरों के अलावा अन्य कोई राशि देय नहीं होगी। मुख्यालय से बाहर जाने में मात्र टोल टेक्स की रसीदें प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जा सकेगा।  
3. उपर्युक्त अंकित की जाने वाली दरें समस्त प्रभारों/व्यय/POL सहित होनी चाहिये।

हस्ताक्षर  
संस्था

